न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 149/2021

अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

हाकम सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख उम्र 65 वर्ष, निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ..... वादी

बनाम

(1). गुड्डी पुत्री शेर सिंह जाति जटसिख
(2). गुरदीप सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख
(3). चड़सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख
(4). जगदीश सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख
(5). जसवीरसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख
(6). दर्शन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख
(7) ~~दलीप कौर पत्नी शेर सिंह जाति जटसिख~~ (कलमजन)
(8). महेन्द्र कौर पत्नी चरणजीत सिंह जाति जटसिख

निवासीयान चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(9). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी 1, 5, 8)
पैरोकार राज श्रीगंगानगर (प्रति.–9)
प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 29.10.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 132/93 के मुरब्बा नम्बर 8 की 0.127 है., मुरब्बा नम्बर 33 की 2.152 है. व मुरब्बा नम्बर 41 की 4.048 है. व मुरब्बा नम्बर 42 की 5.060 है. कुल 11.387 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी हाकम सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के नाम 1897/11387 हिस्सा यानि 1.897 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 3 सी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 132/93 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने झगड़ा फसाद से बचने तथा काश्त में सहुलियत को मध्य नजर रखते हुए चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132/93 के मुरब्बा नम्बर 8, 33, 41, 42 की कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है :–
हाकम सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख साकिन 3 सी छोटी तह. श्रीगंगानगर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 3 सी छोटी	132	33	17, 18, 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21 (0.228 है.), 22(0.228 है.), 23(0.228 है.), 24(0.201 है.{ किला नम्बर 23 से चिपती हुई})	1.897 है. नहरी

गुड्डी पुत्री शेर सिंह जाति जटसिख 0.569 है.,गुरदीप सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख 0.569 है., चड़ सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख 0.570 है., जगदीश सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख 0.697 है., जसवीर सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख 3.795 है. दर्शन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख 0.570 है., दलीप कौर पत्नी शेर सिंह जाति जटसिख 0.570 है., महेन्द्र कौर पत्नी चरणजीतसिंह जाति राजपूत सिख 2.150 है., निवासीयान चक 3 सी छोटी तह. श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 3 सी छोटी	132	8	11/2(0.127है.)	0.127 है. नहरी
		33	24(0.027 है.{ किला नम्बर 5 की बट से चिपती }), 25 (0.228 है.)	0.255 है. नहरी
		41	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.)	4.048 है. नहरी
		42	1 से 20 (प्रत्येक में 0.253 है.)	5.060 है. नहरी
			कुल योग	9.490 है. नहरी

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य पारस्परिक सहमति से हुए बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस सहमति बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओ से भी वंचित हो रहा है। वादी ने पारस्परिक सहमति से हुए विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादीगण को दिनांक 01/05/2021 को कहा तो प्रतिवादीगण ने टाल मटोल करते हुए इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 9 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 132/93 के मुरब्बा नम्बर 8 की 0.127 है., मुरब्बा नम्बर 33 की 2.152 है. व मुरब्बा नम्बर 41 की 4.048 है. व मुरब्बा नम्बर 42 की 5.060 है. कुल 11.387 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया. जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। **प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 की विधिवत तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।**

प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मन उतरदाता के नाम पिताजी/प्रतिवादी संख्या 5 जसवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम से 3.795 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं शेष कृषि भूमि अन्य काश्तकारान के नाम से दर्ज है। उतरदाता संख्या 5 जसवीर सिंह ने अपने नाम दर्ज चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132/93 में अपने कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 24 की 0.027 है. (दक्षिणी हिस्सा), 25 (0.228 है.) = 0.255 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18 (0.063 है. {किला नम्बर 19 की बट से चिपती}, 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.352 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 16 की 0.061 है. { मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 से चिपता} कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि का को अपने नाम करवाने हेतू काऊन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। वादी की इस मद में वर्णित अनुसार एवं काउन्टर क्लेम में वर्णिज अनुसार जसवीर सिंह की कृषि भूमि घोषित की जाती है तो मन उतरदाता को कोई एतराज नहीं है। संयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन से करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद उक्त किलाजात उतरदाता के नाम करवाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है स्वीकार है प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है भूमि का विभाजन किया हुआ है । संयुक्त खाता में सहकाश्तकारान को सरकारी सुविधांए लेने, लगान अदा करने में काफी परेशानियां आती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य चक 3 सी छोटी के संयुक्त खाता 132/93 की कृषि भूमि का विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है।काऊन्टर क्लेम– (क). यहकि उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 5 जसवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह अपने नाम दर्ज 3.795 हैक्टयर कृषि भूमि का हिस्सेदार हूं तथा मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 24 की 0.027 है. (दक्षिणी हिस्सा), 25 (0.228 है.) = 0.255 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18 (0.063 है. {किला नम्बर 19 की बट से चिपती}, 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.352 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 16 की 0.061 है. { मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 से चिपता} कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है जिसका खाता विभाजन कर अलग से खातेदारी करवाने का अधिकारी है इसलिए उतरदाता के उक्त रकबा का खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(ख).यहकि वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः जवाब वाद पत्र मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जावे तथा उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की भूमि का बंटवारा करते हुए मन उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 5 जसवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह की मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 24 की 0.027 है. (दक्षिणी हिस्सा), 25 (0.228 है.) = 0.255 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18 (0.063 है. {किला नम्बर 19 की बट से चिपती}, 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.352 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 16 की 0.061 है. { मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 से चिपता} कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि की घोषणा करतें हुए बंटवारा किया जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद में वर्णित अनुसार वादी हाकम सिंह एवं प्रतिवादीगण/उतरदातागण की कृषि भूमि विभाजित की जाती है तो हम उतरदातागण को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कोई एतराज नहीं है । हाकम सिंह का पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 ने चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132 93 में मन उतरदाता अपने नाम दर्ज 3.795 है. कृषि भूमि का हिस्सेदार हूं तथा मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 24 की 0.027 है. (दक्षिणी हिस्सा), 25 (0.228 है.) = 0.255 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18 (0.353 है. {किला नम्बर = 3.352 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 42 के 19 की बट से चिपती }, 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) किला नम्बर 16 की 0.061 है. {(मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 से चिपता} कुल 3. 795 है. नहरी कृषि भूमि का काउन्टर क्लेम पेश किया है इनका खाता अलग किया जाता है तो भी मुझे कोई आपति नहीं है। यहकि वाद पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, इस सीमा तक स्वीकार है कि संयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन से करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । वाद पत्र की मद उक्त किलाजात विभाजन में कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है स्वीकार है प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है भूमि का विभाजन किया हुआ है, मद संख्या 3 में अनुसार विभाजन कर दिया जावे ताकि संयुक्त खाता में सहकाश्तकारान को सरकारी सुविधाएं लेने, लगान आदि अदा करने में आ रही परेशानियो से निजात मिल सके तथा सरकारी योजनाओ का लाभ भी ले सकें । वाद पत्र की मद संख्या 6 वाद कारण बनाने के लिए दर्ज की गई है। वाद पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है। वादी एवं मन प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य चक 3 सी छोटी के संयुक्त खाता 132/93 की कृषि भूमि के विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार विभाजन किया जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 (महेन्द्र कौर पत्नी चरणजीत सिंह) द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी हाकम सिंह एवं प्रतिवादीगण/उतरदातागण की कृषि भूमि विभाजित की जाती है तो हम उतरदातागण को कोई एतराज नहीं है । हाकम सिंह का पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 ने चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132 / 93 में मन उतरदाता अपने नाम दर्ज 3.795 है. कृषि भूमि का हिस्सेदार हूं तथा मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 है. नहरी, मुरब्बा नंम्बर 33 के किला नम्बर 24 की 0.027 है. (दक्षिणी हिस्सा), 25 (0.228 है) = 0.255 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (प्रत्येक में 0. 253 है), 18 (0.063 है. (किला नम्बर 19 की बट से चिपती}, 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.352 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 16 की 0.061 है. (मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 से चिपता } कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि का काउन्टर क्लेम पेश किया है इनका खाता अलग किया जाता है तो भी मुझे कोई आपति नहीं है। संयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन से करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । वाद पत्र की मद उक्त किलाजात विभाजन में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है भूमि का विभाजन किया हुआ है, नद संख्या 3 में अनुसार विभाजन कर दिया जावे ताकि संयुक्त खाता में सहकाश्तकारान को सरकारी सुविधाएं लेने, लगान आदि अदा करने में आ रही परेशानियो से निजात मिल सके तथा सरकारी योजनाओ का लाभ भी ले सके । यहकि वाद पत्र की मद संख्या 6 वाद कारण बनाने के लिए दर्ज की गई है। वादी एवं मन प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य चक 3 सी छोटी के संयुक्त खाता 132/93 की कृषि भूमि के विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है । अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2)सी.पी.सी. पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2)सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 का नाम कलमजन (Delete)किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 3 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड, खाता संख्या 132/93 का अवलोकन किया गया। मुताबिक जवाबंदी वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी है। अतः वादी एवं काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 5 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3902 दिनांक 08.07.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। अतः वादी वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 5 स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 5 का काउंटरक्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसान निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि. 10 जैड खाता संख्या 132/93 के अनुसार वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 5 को तहसीलदार श्रीगंगानगर के अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	हाकम सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख्या निवासी 3 सी छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (वादी संख्या 1)	चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132/93 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 17–18–19–20(1.012), 21(0.228), 22(0.228), 23(0.228), 24(0.201(किला नम्बर 23 से चिप्ती हुई)) कुल 1.897 है0 नहरी
	जसवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (प्रतिवादी संख्या 5)	चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 132/93 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 11/2(1.127), मुरबा नम्बर 33 किला नं. 24(0.027), 25(0.228), मुरबा नम्बर 41 के किला नं. 1–2–3– 8–9–10– 11–12–13 (2.277), 18(0.063(किला नम्बर 19 की बट से चिप्ती)) किला नं. 19–20– 21–22(1.012) मुरबा नम्बर 42 के किला नं. 16(0.061) कुल 3.795 हैक. नहरी
	शेष खाता बदस्तूर रहेगा।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान हाकम सिंह वनाम गुडडी
वाद मुकदमा नं. 149/2021

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner